

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

विपक्षी


मुकदमा

वाक

पत्रावली संख्या

18/2024

सन

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
9.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वडी अधिवक्ता अनुपस्थित। वडी अधिवक्ता को प्रतिवेदीगण नामील रजि. शरी एर डिलीवरी रिपोर्ट पेश किया जाने हेतु समुचित प्रयास दिए गए बावजूद इन्के प्रोसेस पेश नहीं किया गया है। जितने जाहीर है वडी अपने वाड के प्रति जाहीर नहीं है तथा अपना वाड चलाना नहीं चाहता है।</p> <p>अतः वडी का वाड अडिम 9 मिनट 5 के तहत अडिम नामील नामील के वाजिब किया जाता है। निर्णय सेरेडजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p>	 (शानिहा कुमारी) DAs उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठारीन अधिकारी सोनिका कुमारी, आई.ए.एस. मुकदमा 18/2024 सन 2024 सीगह वाद श्री देवा पिता होमा जी उम्र बालिग, निवासी नया गुडा, तह. गिर्वा उदयपुर (राज.) बनाम श्री नारु पिता कालु जाति भील, निवासी बुझडा तह. गिर्वा उदयपुर राज0 वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने सोनिका कुमारी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता अनुपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत तामिल तकमील में खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे₹.....रुपये की राशि.....₹.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर%.....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित₹.....द्वारा₹.....को दी जाए।

यह आज तारीख09..... माह 06 सन् 2025 को

हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।



हस्ताक्षर न्यायाधीश

पद

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर